

आदेश और सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम सं०
और तारीख


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी सहित

19/11/18

अभिलेख उपस्थापित

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रामगढ़ शाखा के प्रतिवेदन के अनुसार
वादी श्री/श्रीमति अब्दुल रसूल पिता-मौ० इस्माइल अहमद
द्वारा निलाम पत्र वाद संख्या MB/14-15 में बकाया 29788/-
रुपया अंतिम रूप से जमा कर दिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


निलाम पत्र पदाधिकारी
सह अंचल अधिकारी
दुलमी।

अभिलेख की
online में
कार्रवाई समाप्त
किए हुए अभिलेख
का संशोधन करना
सुनिश्चित करें